

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) पाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 145]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2011/फाल्गुन 27, 1932

No. 1451

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2011/PHALGUNA 27, 1932

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) अधिसचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

सा.का.नि. 224(अ),-बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वस्ली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदुद्वारा, ऋण वस्ली अपीलीय अधिकरण (अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करने के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 1998 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :--

- 1. (1) इन नियमों को ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करने के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2011 कहा जाए।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करने के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 1998 में नियम 3. उप-नियम (1) के खंड (v) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः :--
 - "(v) वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में भारत सरकार के सचिव अथवा अपर सचिव।"

[फा. सं. 5/1/2011-डीआरटी] रवनीत कौर, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 31(अ), दिनांक 19 जनवरी, 1998 के जरिए प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 645(अ), दिनांक 2 अगस्त, 2000 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2011

G.S.R. 224(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 read with clause (e) of sub-section (2) of Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure for Appointment as Chairperson of the Appellate Tribunal) Rules, 1998, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure for Appointment as Chairperson of the Appellate Tribunal) Amendment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure for Appointment as Chairperson of the Appellate Tribunal) Rules, 1998, in rule 3, in sub-rule (1), for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(v) Secretary or Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services."

[F. No. 5/1/2011-DRT] RAVNEET KAUR, Jt. Secv.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, G.S.R. 31(E), dated the 19th January, 1998 and subsequently amended, vide, G.S.R. 645(E), dated 2nd August, 2000.

1016 GI/2011